<u>पंतनगर की पंत मूंग–4 प्रजाति भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रजातियों में</u>

पंतनगर। 24 अगस्त, 2009। पंतनगर विष्वविद्यालय द्वारा विकसित पंत मूंग–4 प्रजाति का पंजीकरण पादप प्रजाति संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण, भारत सरकार, द्वारा 16 अप्रैल 2009 को किया गया है तथा इसका पंजीकरण सितम्बर 16, 2012 तक किया गया है। यह सूचना पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डा. बी.एस. बिष्ट ने तराई भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यह प्राधिकरण देश भर में विकसित विभिन्न फसलों की प्रजातियों का उनके वर्तमान व भावी महत्व के आधार पर पंजीकरण कर रहा है। उन्होंने इस विष्वविद्यालय की विभिन्न फसलों की अन्य प्रजातियों के पंजीकरण के प्रस्ताव प्राधिकरण के पास पंजीकरण हेतु विचाराधीन होने के बारे में भी जानकारी दी।

डा. बिष्ट के अनुसार पंजीकरण के अधीन इस प्रजाति के बीज पैदा करने, बेचने, बांटने एवं आयात–निर्यात के सम्बन्ध में सभी अधिकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था के होंगे। पादप प्रजाति संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण विष्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कराया जायेगा।

विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डा. डी.पी. सिंह ने बताया कि पंत मूंग–4 का विकास मूंग एवं उर्द के संकरण से किया गया। इस संकरण में मूंग की टाइप–44 प्रजाति को मादा और उर्द की यू.पी.यू.–2 किस्म को नर के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस बहुरोग रोधी एवं उच्च प्रोटीन प्रतिशत युक्त प्रजाति के विकास में 15 वर्षों का समय लगा। देष के उत्तर पूर्वी भागों में इस किस्म के लगाये जाने की केन्द्रीय प्रजाति विमोचन समिति द्वारा 1997 में संस्तुति की गयी। डा. सिंह के अनुसार इस प्रजाति के पकने में 65–70 दिन का समय लगता है तथा इसकी उपज 12–15 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है। मूंग एवं उर्द के संकरण से विकसित की गयी यह विष्व की पहली प्रजाति है। इसका विकास डा. डी.पी. सिंह, निदेषक शोध एवं डा. बी.एल. शर्मा, पूर्व सह प्राध्यापक आनुवांषिकी एवं पादप प्रजनन, द्वारा किया गया है।

मूंग की प्रजाति, पंत मूंग–4।